

कायलिय : प्रभागीय वनाधिकारी,
ठिहरी वन प्रभाग,
नई ठिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,

ईमेल :

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 1655 / 12 - 1

नई ठिहरी, दिनांक— 21/01/ 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरती।

विषय:-

जनपद-ठिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगधार-आली सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी, कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 कि०मी०+२ न० सेतु) सहित 4.41 है० का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्वाव के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/38456/2019)

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक-516 / 12-1, दिनांक-18-09-2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से प्रश्नगत परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगाई गई आपत्तियो का निराकरण निम्नप्रकार प्रेषित है:-

1— ऑनलाईन वेब पोर्टल में पार्ट-1 के पैरा-k में वन अधिनियम अधिकारी, 2006 के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय समिति की कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख अपलोड नहीं किये गये हैं एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में कतिपय सूचनायें रिक्त हैं।

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित अभिलेख अपलोड कर दिये गये हैं तथा समस्त सूचनाये अंकित की गई हैं।

2— प्रस्ताव में वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय समिति की कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेखों की छायाप्रति चर्चा किये गये हैं, कृपया प्रयोक्ता अभिकरण मूल प्रति उपलब्ध करायें।

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ग्राम स्तरीय समिति के रंगीन छायाप्रति उपलब्ध करा दी गई हैं, जो चार प्रति में संलग्न कर प्रेषित हैं।

3— प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप-37 (धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण पत्र में जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रारूप-37 में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित करा दिये गये हैं, जो एक मूल प्रति व तीन छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

4— ऑनलाईन पार्ट-1 के एडिशनल कॉलम में अपलोड किये गये निकटतम प्रारूप-25 (निकटतम राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण से हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र) में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है एवं उक्त प्रमाण-पत्र में प्रस्तावित स्थल किस राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण के समीपस्थ है, के नाम का उल्लेख भी करे।

- प्रारूप-25 में समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण का नाम अंकित कर दिया गया है व अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है जिसकी एक मूल प्रति तीन छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

5— ऑनलाईन वेब पोर्टल में पार्ट-1 के पैरा-सी(बी) में आवेदित वन भूमि की के०एम०एल० फाईल के स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के०एम०एल० फाईल अपलोड की गयी है। कृपया प्रयोक्ता अभिकरण मोटर मार्ग हेतु चयनित संरेखण की के०एम०एल० फाईल में लाभन्वित होने वाले ग्रामों को भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पार्ट-1 के पैरा-सी(बी) में आवेदित वन भूमि की केऽम०एल० फाईल अपलोड कर दी गई है जिसमें लाभान्वित ग्राम दर्शा दिये गये हैं।
- 6— ऑनलाईन पार्ट-1 के एडिशनल कॉलम में दिनांक रहित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड की गयी है।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पार्ट-1 के एडिशनल कॉलम में दिनांक अंकित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड कर दी है।
- 7— ऑनलाईन पार्ट-1 के एडिशनल कॉलम में प्रारूप-40 (लाभान्वित होने वाले ग्रामों /परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र) को अपलोड करने का कष्ट करें।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पार्ट-1 के एडिशनल कॉलम में प्रारूप-40 (लाभान्वित होने वाले ग्रामों /परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र) अपलोड कर दिया है। जिसकी एक मूल प्रति व तीन छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
ठिहरी वन प्रभाग,
नई ठिहरी

(57)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT -TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)



Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs. SONIKA..... I.A.S District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Block -Bhilangana area measuring 4.410 hect. for **Construction of Megadhar – Aali - Saruna Motor Road passed from Village-Chaunra, Kot,Karkhedi, Ghanatgaon to Chanji with Steel Girder Bridge.** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:....NEWTehri

Dated:....16.1.18


(सोनिका)
जिला अधिकारी

तेहरी गढ़वाल
District Collector-cum-Chairman
District Level Committee



Form-1

For linear projects
Government of India

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 473 | XXVI-50 2018-19

Dated. 14/5/19

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 4.410 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Ty. Division P.W.D. Ghansali for Construction of Megadhar - Aali - Saruna Motor Road passed from Village-Chaunra, Kot, Karkhedi, Ghanatgaon to Chanji with Steel Girder Bridge. (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Aali, Saruna, Mundeti, Chaunra, Kot, Karkhedi, Ghanatgaon and Chanji village (s) In Ghansali Tehsil.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.410 Hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are included as annexure to annexure.....,
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl. As above.

41
S.D.M.
Ghansali
Tehri Garhwal

12
18/19
XXVI-50
316 14/5/19

CS
Signature
(.....)
जिला अधिकारी
District collector
Tehri Garhwal

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा कार्य हेतु 0.770 है। आरक्षित वन भूमि, 3.640 है। सिविल एवं सायेम वन भूमि, 0.00 है। वन पंचायत किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-घनसाली) की दिनांक- ५/१०/१६ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ०८/०८/१७ उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानु वार है :-

1. श्री पी. ए. राजेश
2. श्री कृष्ण कुमार
3. श्री दर्शनलाल आर्य
4. श्री रघुवीर गंडुरावती

उपजिलाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी

उप जिलाधिकारी

अध्यक्ष
सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी, घनसाली।

बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य / प्रमुख भिलंगना।

सदस्य / सचिव।

सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य हेतु परियोजना हेतु 4.410 है। वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा सम्मिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढ़वाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत दन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधिक नियमों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खंड
भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेड़ी, कोट, घणातगांव होते हुए चांज तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 410 हैं 0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

पत्रांक :- / तददिनांक।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

८६

कायालय उपाजेलाधिकारी, घनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर
टिहरी गढवाल।

आज दिनांक - १४/५ को जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में
मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेड़ी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक
विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध
में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :-


क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री <u>प. ए. नौदान</u>	उपजिलाधिकारी, घनसाली	<u>उपजिलाधिकारी</u> घनसाली
2	<u>व. के. विजेता</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी,	<u>विजेता</u>
3	श्री दर्शन लाल आर्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी भिलंगना (टिहरी मन्दिर)
4	<u>रघुवीर लेह रावत</u>	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य / प्रमुख भिलंगना	<u>रघुवीर लेह रावत</u> सदस्य


जिला पंचायत
३०, हाइवे अंडर, राजी डिल्डिं
टिहरी गढवाल (झारखण्ड)

62


It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of Megadhar – Aali - Saruna Motor Road passed from Village-Chaunra, Kot,Karkhedi, Ghanatgaon to Chanji with Steel Girder Bridge. scheme regarding FRA is ad following .


Sr. No.		Remark
(a)	He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 4.410 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.


 जिला पंचायत सदस्य
 टिहरी गढ़वाल।
 ३०, हड्डियाला गल्ला, पट्टी हिन्दावर जिला चमाज कल्याण अधिकारी
 टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)


 समाज कल्याण अधिकारी,
 टिहरी गढ़वाल।
 टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित


 प्रभागीय यनाधिकारी,
 टिहरी वन प्रभाग,
 टिहरी वन प्रभाग
 नई टिहरी।


 अधिकारी अभियन्ता,
 अ०५०. ल००. न००. घनसाली


 (सो.)
 जिला अधिकारी
 टिहरी गढ़वाल
 ()
 जिला अधिकारी,
 टिहरी गढ़वाल।

परियोजना का नाम :— जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—टीरा
तहसील—घनसाली, जिला—टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु ०.७७० है० आरक्षित वन भूमि ३.६४० है० सिवेल सोयम भूमि ०.०० है० वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल ४.४१० है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत टीरा द्वारा दिनांक २८.७.२०१६ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिवित आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिवित आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा टीरा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम टीरा के ग्रामवासियों द्वारा भूमि ग्राम्य विकास विभाग एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकार पर्प
टिहरी गढ़वाल
ग्राम पंचायत गढ़वाल

नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा दनवार्षी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।



प्रपत्र 2: 1

दिनांक 28.7.2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ५१

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	जोगिकुमार सिंह S/o शेरसिंह	जोगिकुमार
2	डब्ल्यूसिंह S/o हीर सिंह	डब्ल्यूसिंह
3	दाताराम S/o नारायणलाल	दाताराम
4	जमुनाप्रसाद S/o रुद्रलाल	जमुनाप्रसाद
5	मोहनलाल S/o कोलीमाम	मोहनलाल
6	कुललाल S/o कुमारदाम	कुललाल
7	सरोपसिंह S/o हरयान सिंह	सरोपसिंह
8	वन्यधाम S/o नारथारसिंह	वन्यधाम
9	मोरसिंह S/o शेरसिंह	मोरसिंह
10	तेजसिंह S/o जगन्नाथसिंह	तेजसिंह
11	बलकरसिंह S/o वालभसिंह	बलकरसिंह
12	अनुष्ठानप्रसाद S/o देवेश्वरराम	अनुष्ठानप्रसाद
13	नियतमाली S/o दायराम	नियतमाली
14	सुवोधी देवी S/o गोप्तव्य	सुवोधी देवी
15	छोड़ा देवी S/o रामप्रसाद	छोड़ा देवी
16	मालनाल S/o ठुमरी	मालनाल
17	पश्चाद देवी S/o खुलाड़ी	पश्चाद देवी
18	पुष्पा देवी S/o झुलरसिंह	पुष्पा देवी
19	गुरु देवी S/o गुरु	गुरु देवी
20	अनीता देवी S/o श्रीकाम प्रस	अनीता देवी



परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम— औड़ाव (घणातगांव)
तहसील—घनसाली, जिला—टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु ०.७७० है० आरक्षित वन भूमि ३.६४० है० सिविल सोयम भूमि ०.०० है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल ५.४१० है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत २१.८०८ द्वारा दिनांक—१३/८/२०१६ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्रित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम औड़ाव (घणातगांव) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सभा द्वारा अधिकारी
 उद्योगाम सचिव



नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 13/01/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत 21/5/2016

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
१	बुलडोजर देवी श्री रमेश चंद्र देवी ५५५-	बुलडोजर
२	कुमार देवी श्री रमेश चंद्र देवी	कुमार
३	रमेश चंद्र अगरवाल देवी ५५५-	रमेश चंद्र
४	सुधीला देवी श्री रमेश चंद्र देवी	सुधीला
५	उमेश चंद्र अगरवाल देवी	उमेश
६	लक्ष्मीला श्री देवी देवी	लक्ष्मीला
७	लक्ष्मी देवी श्री देवी	लक्ष्मी
८	रमेश चंद्र अगरवाल देवी	रमेश
९	लक्ष्मी श्री देवी	लक्ष्मी
१०	लक्ष्मी श्री देवी	लक्ष्मी
११	लक्ष्मी श्री देवी	लक्ष्मी
१२	सुधीला श्री रमेश चंद्र देवी	सुधीला
१३	लक्ष्मी श्री रमेश चंद्र देवी	लक्ष्मी
१४	रमेश चंद्र अगरवाल देवी	Ramendra



परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम— कोट
तहसील-घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।


जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु ०.७७० है० आरक्षित वन भूमि ३.६४० है० सिविल सोयम भूमि ०.००० है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल ४.४१० है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत 13/12/2016 द्वारा दिनांक-13/8/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्रिया परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के पर्यावरण अधिकारों द्वारा हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम पंचायत अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
ग्राम पंचायत



ह०/-
ग्राम प्रधान

नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 12/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत 9/12/16

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम / पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	वंदुलिंग पुरी द्वारा भूमि अधिकारी विजय पन्डित	
2	बड़ा पुरी द्वारा भूमि अधिकारी	B. P.
3	जवाहर सिंह लालोलिंग	जवाहर सिंह
4	लक्ष्मीलाल अग्रवाल शंखा	लक्ष्मीलाल
5	सुन सिंह इडा सेह गुरु	सुन सिंह
6	बाबूलाल पुरी गुरुप्रसाद	बाबूलाल
7	बहादुर खुदाई लिंग	बहादुर
8	बिलाल गुरुप्रसाद	बिलाल
9	सीमालिंग गुरुप्रसाद	सीमालिंग
10	बिलाल गुरुप्रसाद	बिलाल
11	रामानंद गुरुप्रसाद	रामानंद
12	लोकेश गुरुप्रसाद	लोकेश
13	लोकेश गुरुप्रसाद	लोकेश
14	लिमुल देवी गुरुप्रसाद	लिमुल
15	आमादा देवी गुरुप्रसाद	आमादा
16	अमृतली देवी गुरुप्रसाद	अमृतली
17	पूरी गुरुप्रसाद	पूरी
18	आमुदेवी गुरुप्रसाद	आमुदेवी
19	दिल्ली देवी गुरुप्रसाद	दिल्ली
20		
21		
.		

ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-भिंलगना में मैगधार-आली-सरुणा मोटर मार्ग का चौरा-करखेड़ी-कोट-घणातगांव होते हुए चाँजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—सरुणा
तहसील-घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-भिंलगना में मैगधार-आली-सरुणा मोटर मार्ग का चौरा-करखेड़ी-कोट-घणातगांव होते हुए चाँजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु ०:७७० है ० आरक्षित वन भूमि २:६४० है ० सिविल सोयम भूमि ०:०० है ० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल ४:४१० है ० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सरुणा द्वारा दिनांक—३-११-१६ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्रिया परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सरुणा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी का परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।



प्रपत्र 23.1

दिनांक 3-11-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - रुझाणा

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
2	विश्वास सिंह	विश्वास सिंह
3	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
4	शुलाल देवी	शुलाल देवी
5	साजा देवी	साजा देवी
6	लक्ष्मी अमृता	लक्ष्मी अमृता
7	धनवीर सिंह	धनवीर सिंह
8	सुरक्षिती	सुरक्षिती
9	रमेश सिंह	रमेश सिंह
10	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
11	अवतार सिंह	अवतार सिंह
12	—	—
13	करण सिंह	करण सिंह
14	श्रीराम सिंह	श्रीराम सिंह
15	श्रीराम	श्रीराम
16	जयेन्द्र	जयेन्द्र
17	धीरज	धीरज
18	धीरेन्द्र	धीरेन्द्र
19	रामेन्द्र	रामेन्द्र
20	कोनल	कोनल
21	शीतल अमृता	Komal
22	लखवीर	लखवीर
23	शशी देवी	शशी देवी
24	शुरज	Shuraj
25	आरिश	Aarish
26	सोना देवी	Soona Devi
27	बलवीर	बलवीर
28	गोनेन्द्र	गोनेन्द्र
29	गोनेन्द्र	गोनेन्द्र

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-भिंलगना में मैगाधार-आली-सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा-करखेड़ी-कोट-घणातगांव होते हुए चाँजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—.....चाँजी तल्ली
तहसील-घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-भिंलगना में मैगाधार-आली-सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा-करखेड़ी-कोट-घणातगांव होते हुए चाँजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.770 है। आरक्षित वन भूमि 3:640 है। सिविल सोयम भूमि 0.00 है। वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4:410 है। वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायतचाँजी तल्ली द्वारा दिनांक—12-1-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्रिये परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामचाँजी तल्ली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव

नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।



प्रपत्र 23.1

दिनांक 12-1-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चांडी तल्ली

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1-	संपोदित केन्दुरा १७ प्रभुदेव केन्दुरा	संपोदित
2-	विरेन्द्रिन रावत .. पुणाधिदरावत	विरेन्द्रिन
3-	प्रभलाल शाह .. हिराशाह	प्रभलाल
4-	अभ्यलालदेव केन्दुरा .. नारायणदेव केन्दुरा	अभ्यलालदेव
5-	उमापटे .. देवदासदेव केन्दुरा	उमापटे
6-	जलेन्द्र राज ..	जलेन्द्र
7	कुमार लाल ..	कुमार लाल
8	किंद ..	किंद
9	विरेन्द्र ..	विरेन्द्र
10	रिंद ..	रिंद
11	दिनेश लाल ..	दिनेश लाल
12	सुनील रामलाल ..	सुनील राम
13	रिंद ..	रिंद
14	रामेश लाल ..	रामेश लाल
21	सुरेन राव ..	सुरेन
21	उमेश लाल ..	उमेश
22	विरेन्द्र राम ..	विरेन्द्र
23	सरगामी राम ..	सरगामी
24	उमाल लाल ..	उमाल
25	बनी लाल ..	बनी
26	उमर लाल ..	उमर
27	दुर्विजान राम ..	दुर्विजान
18	रवि-दंबिदे ..	रवि-दंबिदे
24	उमाल-लाल ..	उमाल




प्रपत्र-25


परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल विकास खण्ड भिलंगना में मेगाधार-आली-सरुणा मोटर मार्ग का चोंरा, करखेड़ी, कोट, घणातगांव होतु हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।


पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत स्वीकृत नाम :- घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी 0 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग।


परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, हाथी कोरिडोर का भाग/हिस्सा नहीं है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से हवाई दूरी 22.60 किमी 0 है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी



प्रभाग संचालक वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी


परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेड़ी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नदि निर्माण कार्य। (नार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि इस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- १०. ४५० + २ न० सेतु)

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं हैं तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।



ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी


प्रयोक्ता एजेन्सी
प्रारूप वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

ह०/-
जिलाधिकारी



प्रतिहस्ताक्षरित


अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रपत्र-40

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल विकास खण्ड भिलंगना में मेगाधार-आली-सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा, करखेड़ी, कोट, घणातगांव होतु हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।


पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत स्वीकृत नाम :- घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी 0 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग।


प्रस्तावित परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या


के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न ग्रामों/परिवारों/जनसंख्याओं को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०सं०	ग्राम सभा का नाम	ग्राम सभा का कोड	जनसंख्या
1	सरुणा	291800	461
2	चौंरा	288000	279
3	कोट	291400	278
4	गंगवाड़ी	293100	447
5	चांजी तल्ली	293300	578
योग			2043


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी